



कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail:dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

सेवा मे

पत्रांक सं: 121 / 21 / 12/2018

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद- टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के किमी 04 से आगे बरसीला पौंथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28766/2017

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक-08बी0/यूसी0पी0/06/76/2018/एफ0सी0/1563 दिनांक 11-10-2019।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-1806/33सी0 दिनांक 12-12-2019 से प्रेषित की गयी है जो जो निम्नवत् है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point No.02 VLC proceeding of village Bhinjwari is still not corrected as the name of village Nakheri mentioned in para-3. Further, it is seen from the para B 2.3 of part-1 that the forest land proposed for diversion is falls within jurisdiction of Bainjwari and both villages. State Govt. may submit/upload the VLC meeting proceedings of both villages.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि FRA मे संलग्न ग्राम स्तरीय कमेटी मे त्रुटिवश ग्राम नैखरी अंकित हो गया था जिसे उनके द्वारा संशोधित कर भाग-01 के पैरा बी-2.3 मे अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति सहित 04 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (प्रति संलग्न-01)
2	On perusal of KML file it seems that village is already connected. State Govt. may submit the justification of the proposed road.	बिन्दु संख्या-02 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बैंजवाड़ी के परिवार काफी क्षेत्र मे फैले है पूर्व निर्मित मोटर मार्ग ग्राम बैंजवाड़ी के प्रारम्भिक बिन्दु को ही जोड़ता है तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग पूरे ग्राम बैंजवाड़ी को जोड़ते हुये ग्राम पौंथ को जोड़ेगा। अतः के0एम0एल0 फाईल जो मार्ग बैंजवाड़ी को जोड़ता हुआ दिखायी दे रहा है वास्तव में वह ग्राम-बैंजवाड़ी के प्रारम्भिक बिन्दु को ही जोड़ता है। प्रस्तावित मार्ग ग्राम-बैंजवाड़ी से आगे ग्राम पौंथ को जोड़ेगा। अतः ग्राम-बैंजवाड़ी/पूर्व निर्मित मार्ग का अन्तिम बिन्दु ही प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु है।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1819 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0 कीतिनगर को उनके पत्रांक-1806/33सी0 दिनांक 12-12-2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० ०४ से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई ४.०० कि०मी)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बैंजवाड़ी डागर

तहसील कोट्ठनगा० जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० ०४ से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१०५० हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल १.८७२५ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैंजवाड़ी डागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैंजवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



सहायक अधिकारी १७३१२०१७
अस्थाई खण्ड लो०नि० वि०
शीनयर-मू० कीर्तिनगर टि० व०

परियोजना का नाम :—

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — थाती डागर, ग्राम पोथ

तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थाती डागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान


लहान अधिकार न०१३/भा०
अस्थाई छोड़ लोनिंग
वीरपर-मू० कीर्तिनगर डि० १०

